श्रम तथा रोजगार विभाग

दिनांक 12 दिसम्बर, 1984

क्रमांक 14/62/84-6श्रम.—कारखाना, अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 8 की उप धारा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इससे पूर्व जारी की गई हरियाणा सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14/62/84-6श्रम, दिनांक 12 अक्तूबर, 1984 की अधिक्रमण करते हुए हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा श्री जे.पी. रतन को मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा नियुक्त किया जाता है।

म० सेठ,

सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 दिसम्बर, 1984

क्रमांक 1567-ज-(I)-84/34906.—श्री दरयाव सिंह, पुत्र श्री चन्दूलाल, गांव गढीबोहर, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 2 मई, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री दरयाव सिंह की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1101-ज-(II)-74/15303, दिनांक 31 मई, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती सरजो के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 दिसम्बर, 1984

क्रमांक 1553-ज-(II)-84/34956.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती जीवनी देवी, विधवा श्री नन्द राम, गांव तिवाला, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1543-ज-(II)-84/34960.—श्री कांशी राम, पुत्र श्री बालू राम, गांव डाबोधा खुर्द, (तहसील झज्जर अब बहादुरगढ़), जिला रोहतक, की दिनांक 27 फरवरी, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कांशी राम की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1956-आर-4-67/2535, दिनांक 27 जुलाई, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती खजानी देवी के नाम खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1554-ज-(II)-84/34964.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती हरदेई, विधवा श्री बदलूराम, गांव झोझू कलां, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।